5 रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs.20 COURT FEE INDIA TWENTY RUPEES बीस रुपये

लोपित

(13)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक नि0 - 819 - III - 16 । २०१६ निगरानी

हल्कू राम पुत्र कशिया कुशवाहा, निवासी ग्राम श्योपुरा, तेहसील करैरा, जिला शिवपुरी (म0प्र0)।

------ प्रार्थी

बिरुध्द

१- दयाराम पुत्र कमल कुशवाह,

२- वनमाली पुत्र बद्रीप्रसाद कुशवाह,
निवासीगण - ग्राम श्योपुरा, तेहसील करैरा, जिला शिवपुरी (म0प्र0) ।

३- प्रकाश नारायण पण्डा पुत्र स्वरूप नारायण पण्डा निवासी नाला मोहल्ला, करैरा, जिला शिवपुरी (म0प्र0) ।

------प्रतिप्रार्थीगण

श्री ... द्वारा आज दि. 9-3-16 को प्रस्तुत

... 9/3/16 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

... 9/3/16

निगरानी बिरुध्द आदेश तेहसीलदार महोदय, करैरा जिला शिवपुरी दिनांक ५-२-२०१६ अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ । प्र0क्र0 ५३।२०१४-१५।अ-६-अ ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, प्रार्थी को पिता कशिया का वर्तमान प्रकरण में विवादित भूमि का व्यवस्थापन तेहसील न्यायालय व्दारा प्र0क्र0 १९।७२-७३-अ-१९ व्दारा दिनांक १३-४-७२ को किया गया है जो कलेक्टर महोदय व्दारा प्र0क्र0 ८२।८७-८८ स्व0नि0 में पारित आदेश दिनांक १०-७-८९ से स्थिर रखा गया है ।

२- यह कि, कलेक्टर महोदय व्दारा पारित आदेश दिनांक १०-७-१९८९ अपर आयुक्त महोदय के प्र0क्र0 ३।८९-९० निगरानी में पारित आदेश दिनांक २४-९-१९९१ से स्थिर रखा गया है । इस प्रकार व्यवस्थापन आदेश दिनांक १३-४-१९७२ वरिष्ठ न्यायालयों से स्थिर रखा गया है तथा अंतिमता प्राप्त कर चुका है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक 819–तीन/2016 निगरानी जिला शिवपुरी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5/12/18	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी के प्र.क्र. 53/14–15 अ –6 –अ में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 5–2–16 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को के कम में तहसीलदार करैरा के अंतरिम आदेश दिनांक 5–2–16 का अवलोकन किया गया जो इस प्रकार है – " प्रकरण पेश। आवेदक अधि.उप.। अना. अधि.उप.। आवेदन पत्र दिनांक 21–1–16 का जवाव पेश । जिसकी प्रति आवेदक को दी गई। प्रकरण में आवेदन पत्र दिनांक 21–1–16 के विवरण पर तर्क सुने। प्रकरण आवेदन पत्र दिनांक 21–1–16 पर आदेश हेतु । **C.F. 12.1.16** तहसीलदार के उक्तानुसार लिये गये अंतरिम निर्णय से स्पष्ट है कि तहसीलदार व्दारा दोनों पक्षों को सुनकर प्रकरण आवेदन पत्र दिनांक 21–1–16 पर आदेश हेतु नियत किया है जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत कर दी गई है जबकि उक्तानुसार अंतरिम आदेश से आवेदक को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कौनसी हानि हुई है ? आवेदक के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक तहसील न्यायालय में प्रकरण का निराकरण नहीं होने देना चाहता है जिसके कारण वह व्यर्थ निगरानी प्रस्तुत कर समय नष्ट कर रहा है। निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। सदस्य	